दिन– बुधवार   दिनांक– 16 / 04 / 2026

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः– अपराह्न 02:00 बजे से।   अवधि– 05 मिनट

संसद के बजट सत्र का तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक सौ इकतीसवां संविधान संशोधन विधेयक, दो हजार छब्बीस और परिसीमन विधेयक, दो हजार छब्बीस पेश किया। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, दो हजार छब्बीस सदन में पेश किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इस विधेयक को वापस लेने की अपील की। बाद में मत विभाजन के बाद महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है।

———————————————————

माय भारत, पटना द्वारा नारी शक्ति वंदन थीम पर कल पटना में राष्ट्रीय फन–रन का आयोजन किया जाएगा। फन–रन सुबह छह बजे मरीन ड्राईव रेलवे ब्रिज से शुरू होगा। इसमें लगभग पांच हजार महिला प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य नारी शक्ति को सम्मान देना और विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करना है।

———————————————————

बिहार से नवनिर्वाचित चार सांसदों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा नेता शिवेश कुमार को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दस अप्रैल को सदन की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं।

———————————————————

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री के पास फिलहाल गृह मंत्रालय समेत उनतीस विभागों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने आज सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री चौधरी ने नगर विकास विभाग की परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हैं। इधर, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया।

———————————————————

राज्य में कल से जनगणना, दो हजार सत्ताईस का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण के तहत नागरिक वेब—पोर्टल एसई डॉट सेंसस डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। यह चरण एक मई तक चलेगा। इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य के मोबाईल नम्बर से पंजीकरण किया जा सकता है। स्व—गणना के बाद संबंधित व्यक्ति को एक आईडी प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के घर आने पर उन्हें उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद दो मई से मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू होगी, जो इकतीस मई तक चलेगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। इधर, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग ने लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।

———————————————————

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड—सीबीएसई की दसवीं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य के विद्यार्थियों का परिणाम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि यह उनकी मेहनत, लगन और संकल्प का प्रतिफल है। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र—छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है।

———————————————————

भोजपुर जिले में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने गर्मी के दिनों में अगलगी की घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया।

कटिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से सोलर मेला का आयोजन किया गया। मेले में लोगों से अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं।

सुपौल में सशस्त्र सीमा बल–एसएसबी के प्रशिक्षण केंद्र का आठवां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागीयों को सम्मानित किया गया।

अररिया की एक स्थानीय अदालत ने अट्ठाईस साल पुराने हत्या के एक मामले में पंद्रह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस–बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मधुबनी की जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।